उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़ बिलासपुर

विविध अपील क्र.657/2008

अपीलार्थी यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड

विरुद्ध

प्रत्यर्थीगण तोरण दास एवं अन्य

विविध अपील क्र.658/2008

अपीलार्थी यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड

विरुद्ध

प्रत्यर्थीगण संतोषी बाई एवं अन्य

विविध अपील क्र. 659/2008

अपीलार्थी यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड

विरुद्ध

प्रत्यर्थीगण श्रीमती केराबाई एवं अन्य

विविध अपील क्र.667/2008

अपीलार्थी यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड

विरुद्ध

प्रत्यर्थीगण श्रीमती गणेशिया बाई एवं अन्य

विविध अपील क्र. 668/2008

अपीलार्थी यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड

विरुद्ध

प्रत्यर्थीगण श्रीमती सोहद्रा बाई एवं अन्य

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

विविध अपील क्र.669/2008

अपीलार्थी यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड

विरुद्ध

प्रत्यर्थीगण अंजनी बाई एवं अन्य

विविध अपील क्र.670/2008

अपीलार्थी यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड

विरुद्ध

प्रत्यर्थीगण मंथीरादास एवं अन्य पिता चैतूराम सतनामी उम्र 26 वर्ष

विविध अपील क्र.671/2008

अपीलार्थी यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड

विरुद्ध

प्रत्यर्थीगण बृजमोहन एवं अन्य

विविध अपील क्र.672/2008

अपीलार्थी यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड

विरुद्ध

प्रत्यर्थीगण चंदूराम एवं अन्य

विविध अपील क्र.673/2008

अपीलार्थी यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड

विरुद्ध

प्रत्यर्थीगण देवदास एवं अन्य

विविध अपील क्र.674/2008

अपीलार्थी _यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेडउ

विरुद्ध

प्रत्यर्थीगण श्रीमती विमला देवी एवं अन्य

विविध अपील क्र.675/2008

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

<u>अपीलार्थी</u> यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड

विरुद्ध

<u>प्रत्यर्थीगण</u> जयप्रकाश एवं अन्य

<u>विविध अपील क्र.687/2008</u>

<u>अपीलार्थी</u> यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड

विरुद्ध

<u>प्रत्यर्थीगण</u> राजेश बिहारी एवं अन्य

<u>आदेश</u>

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

दिनांक 11/05/2009 के लिए सूचीबद्ध करें

हस्ताक्षर
एन.के.अग्रवाल
न्यायाधीश

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़ बिलासपुर

विविध अपील क्र. 657/2008

अपीलार्थी यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड,

अनावेदक क्र.3 शाखा कार्यालय -2, मेडिकल चौक, नागपुर,

जिला नागपुर, (महाराष्ट्र)

द्वारा संभागीय प्रबंधक, संभागीय कार्यालय

कृष्णा कांपलेक्स, प्रथम तल, कचहरी चौक,

रायपुर, जिला रायपुर (छ.ग.)

विरुद्ध

प्रत्यर्थीगण
आवेदक क्र.1 1.तोरणदास पिता भैया लाल सतनामी, उम्र 14 वर्ष,
नाबालिग, द्वारा पिता भैया लाल सतनामी,
पिता सियाराम सतनामी, उम्र 45 वर्ष,

आवेदक क्र.2 2. भैयालाल सतनामी, पिता सियाराम सतनामी, उम्र 45 वर्ष,

दोनों निवासी ग्राम गभरा, तहसील छूईखदान,

जिला राजनांदगांव, (छ.ग.)

अनावेदक क्र.1 3. धनेश पिता बैशाखाराम गाड़ा, उम्र 35 वर्ष, निवासी गंडई,

पंडरिया, तहसील छूईखदान, जिला राजनांदगांव (छ.ग.)

अनावेदक क्र.2 4. तोरणदास, पिता तुलसीदास चेलक, उम्र 30 वर्ष,
निवासी गभरा, तहसील छूईखदान, जिला
राजनांदगांव,(छ.ग.)

अनावेदक क्र.4 5. अब्दुल रहीम, पिता अब्दुल रहमान मुसलमान,

निवासी रेका नाका बस्ती, नागपुर, जिला नागपुर (महाराष्ट्र)

श्री दशरथ गुप्ता अधिवक्ता अपीलार्थी के लिए

श्री रतन पुस्टी अधिवक्ता, प्रत्यर्थीग क्र.1 के लिए

श्री अभिषेक शर्मा अधिवक्ता, प्रत्यर्थीग क्र. 4 के लिए

विविध अपील क्र. 658/2008

अपीलार्थी यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड,
अनावेदक क्र.3 शाखा कार्यालय- 2,मेडिकल चौक, नागपुर,
जिला नागपुर, (महाराष्ट्र) द्वारा संभागीय प्रबंधक,
संभागीय कार्यालय कृष्णा कांपलेक्स, प्रथम तल,
कचहरी चौक, रायपुर, जिला रायपुर (छ.ग.)

विरुद्ध

प्रत्यर्थीगण / आवेदक क्र.1 1. संतोषी बाई पति मनोहर निषाद उम्र 22 वर्ष

आवेदक क्र.2 2. मनोहर निषाद पिता सुकलू केंवट, उम्र 25 वर्ष,
दोनों निवासी ग्राम गभरा, तहसील छूईखदान,
जिला राजनांदगांव, (छ.ग.)

अनावेदक क्र.1 3. धनेश, पिता बैसाखाराम, गाड़ा उम्र 35 वर्ष,
निवासी गंडई पंडरिया, तहसील छुईखदान, जिला
राजनांदगांव (छ.ग.)

अनावेदक क्र.2 4. तोरणदास, पिता तुलसीदास, चेलक उम्र 30 वर्ष,
निवासी_ग्राम गभरा,तहसील छूईखदान, जिला
राजनांदगांव,(छ.ग.)

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

अनावेदक क्र.4	5.	अब्दुल रहीम,पिता अब्दुल रहमान मुसलमान, निवासी रेका नाका बस्ती,नागपुर,जिला नागपुर (महाराष्ट्र)

श्री दशरथ गुप्ता अधिवक्ता अपीलार्थी के लिए
श्री रतन पुस्टी अधिवक्ता,प्रत्यर्थीग क्र.1 व 2 के लिए
श्री अभिषेक शर्मा अधिवक्ता, प्रत्यर्थीग क्र.3 के लिए
अन्य प्रत्यर्थीगण के लिए कोई उपस्थित नहीं

विविध अपील क्र. 659/2008

अपीलार्थी
अनावेदक क्र.3

यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड,शाखा कार्यालय-2,मेडिकल चौक,नागपुर, जिला नागपुर, (महाराष्ट्र) द्वारा संभागीय प्रबंधक,संभागीय कार्यालय कृष्णा कांपलेक्स,प्रथम तल,कचहरी चौक,रायपुर, जिला रायपुर (छ.ग.)

विरुद्ध

आवेदक क्र. 1	1.	श्रीमती केराबाई, पति देवदास सतनामी, उम्र 23 वर्ष, निवासी ग्राम गभरा,तहसील छूईखदान, जिला राजनांदगांव, (छ.ग.)
आनावेदक क्र.1	2 .	धनेश, पिता बैशाखाराम,गाड़ा उम्र 35 वर्ष, निवासी गंडई पंडरिया, तहसील छुईखदान, जिला राजनांदगांव (छ.ग.)
अनावेदक क्र.2	3.	तोरणदास, पिता तुलसीदास चेलक, उम्र 30 वर्ष, निवासी ग्राम गभरा, तहसील छूईखदान, जिला राजनांदगांव,(छ.ग.)
अनावेदक क्र.4	4	अब्दुल रहीम, पिता अब्दुल रहमान मुसलमान, निवासी रेका नाका बस्ती,नागपुर,

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

जिला नागपुर (महाराष्ट्र

`

श्री दशरथ गुप्ता अधिवक्ता अपीलार्थी के लिए

श्री अभिषेक शर्मा अधिवक्ता, प्रत्यर्थीग क्र.3 के लिए

अन्य प्रत्यर्थीगण के लिए कोई उपस्थित नहीं

विविध अपील क्र. 667/2008

अपीलार्थी यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड,
अनावेदक क्र.3 शाखा कार्यालय-2,मेडिकल चौक, नागपुर, जिला नागपुर, (महाराष्ट्र) द्वारा संभागीय प्रबंधक, संभागीय कार्यालय कृष्णा कांपलेक्स, प्रथम तल, कचहरी चौक, रायपुर, जिला रायपुर (छ.ग.)

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

विरुद्ध

प्रत्यर्थीगण
आवेदक 1. श्रीमती गनेशिया बाई, पति श्री चैनलाल सतनामी, उम्र 33 वर्ष, निवासी मकान नं. 42,मुंहडबरी तहसील खैरागढ़, जिला राजनांदगांव (छ.ग.)

आनावेदक क्र.1 2. धनेश, पिता बैसाखाराम, गाड़ा उम्र 35 वर्ष, निवासी गंडई पंडरिया, तहसील छुईखदान, जिला राजनांदगांव (छ.ग.)

अनावेदक क्र.2 3. तोरणदास, पिता तुलसीदास चेलक, उम्र 30 वर्ष, निवासी ग्राम गभरा,तहसील छूईखदान, जिला राजनांदगांव, (छ.ग.)

अनावेदक क्र.4 4. अब्दुल रहीम, पिता अब्दुल रहमान मुसलमान, निवासी रेका नाका बस्ती, नागपुर, जिला नागपुर (महाराष्ट्र)

श्री दशरथ गुप्ता अधिवक्ता अपीलार्थी के लिए

श्री श्रवण अग्रवाल अधिवक्ता प्रत्यर्थीग क्र. 1 के लिए

श्री अभिषेक शर्मा अधिवक्ता, प्रत्यर्थीग क्र.3 के लिए

अन्य प्रत्यर्थीगण के लिए कोई उपस्थित नही

<u>विविध अपील क्र. 668/2008</u>

<u>अपीलार्थी</u> **<u>अनावेदक क्र.3</u>**	यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, शाखा कार्यालय-2 मेडिकल चौक, नागपुर,जिला नागपुर,(महाराष्ट्र)द्वारा संभागीय प्रबंधक,संभागीय कार्यालय कृष्णा कांपलेक्स, प्रथम तल, कचहरी चौक, रायपुर,जिला रायपुर (छ.ग.)

विरुद्ध

<u>प्रत्यर्थीगण</u> **<u>आवेदक</u>**	1.	सोहद्रा बाई, पति अजीत सतनामी, उम्र 24 वर्ष, निवासी ग्राम गभरा, तहसील छूईखदान, जिला राजनांदगांव, (छ.ग.)
<u>आनावेदक क्र.1</u>	2.	धनेश,पिता बैशाखाराम गाड़ा, उम्र 35 वर्ष, निवासी गंडई पंडरिया, तहसील छुईखदान, जिला राजनांदगांव (छ.ग.)
<u>अनावेदक क्र.2</u>	3.	तोरणदास, पिता तुलसीदास चेलक, उम्र 30 वर्ष, निवासी ग्राम गभरा, तहसील छूईखदान, जिला राजनांदगांव, (छ.ग.)
<u>अनावेदक क्र.4</u>	4.	अब्दुल रहीम, पिता अब्दुल रहमान मुसलमान, निवासी रेका नाका बस्ती,नागपुर, जिला नागपुर (महाराष्ट्र)

श्री दशरथ गुप्ता अधिवक्ता अपीलार्थी के लिए

श्री श्रवण अग्रवाल अधिवक्ता प्रत्यर्थीग क्र. 1 के लिए

श्री अभिषेक शर्मा अधिवक्ता, प्रत्यर्थीग क्र.3 के लिए

अन्य प्रत्यर्थीगण के लिए कोई उपस्थित नही

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

विविध अपील क्र. 669/2008

अपीलार्थी		यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, शाखा
अनावेदक क्र.3		कार्यालय-2, मेडिकल चौक, नागपुर, जिला नागपुर, (महाराष्ट्र) द्वारा संभागीय प्रबंधक, संभागीय कार्यालय कृष्णा कांपलेक्स, प्रथम तल, कचहरी चौक, रायपुर, जिला रायपुर (छ.ग.)

विरुद्ध

प्रत्यर्थीगण	1.	अंजनी भाई पति रतन निषाद उम्र 35 वर्ष
आवेदक		निवासी ग्राम गभरा, तहसील छूईखदान, जिला राजनांदगांव, (छ.ग.)
अनावेदक क्र.1	2.	धनेश, पिता बैशाखाराम गाड़ा, उम्र 35 वर्ष, निवासी गंडई पंडरिया, तहसील छुईखदान, जिला राजनांदगांव (छ.ग.)
अनावेदक क्र 2	3.	तोरणदास, पिता तुलसीदास चेलक, उम्र 30 वर्ष, निवासी ग्राम गभरा, तहसील छूईखदान, जिला राजनांदगांव, (छ.ग.)
अनावेदक क्र.4	4.	अब्दुल रहीम, पिता अब्दुल रहमान मुसलमान, निवासी रेका नाका बस्ती, नागपुर, जिला नागपुर (महाराष्ट्र)

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

श्री दशरथ गुप्ता अधिवक्ता अपीलार्थी के लिए

श्री श्रवण अग्रवाल अधिवक्ता प्रत्यर्थीग क्र. 1 के लिए

श्री अभिषेक शर्मा अधिवक्ता, प्रत्यर्थीग क्र.3 के लिए

अन्य प्रत्यर्थीगण के लिए कोई उपस्थित नही

विविध अपील क्र. 670/2008

<u>अपीलार्थी</u>		यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड,
<u>अनावेदक क्र.3</u>		शाखा कार्यालय-2,मेडिकल चौक,नागपुर,जिला नागपुर, (महाराष्ट्र) द्वारा संभागीय प्रबंधक,संभागीय कार्यालय कृष्णा कांपलेक्स,प्रथम तल,कचहरी चौक, रायपुर, जिला रायपुर (छ.ग.)

विरुद्ध

<u>प्रत्यर्थीगण</u>		मंथिर दास
<u>आवेदक क्र.1</u>		पिता चैतूराम सतनामी, उम्र 26 वर्ष
<u>आवेदक क्र.2</u>	2.	प्रमिला भाई, पति मंथिर सतनामी, उम्र 25 वर्ष निवासी ग्राम गभरा, तहसील छूईखदान, जिला राजनांदगांव,(छ.ग.)
<u>अनावेदक क्र.1</u>	2.	धनेश, पिता बैशाखाराम गाड़ा, उम्र 35 वर्ष, निवासी गंडई पंडरिया, तहसील छुईखदान, जिला राजनांदगांव (छ.ग.)
<u>अनावेदक क्र.2</u>	3.	तोरणदास, पिता तुलसीदास चेलक, उम्र 30 वर्ष, निवासी ग्राम गभरा, तहसील छूईखदान, जिला राजनांदगांव, (छ.ग.)
<u>अनावेदक क्र.4</u>	4.	अब्दुल रहीम, पिता अब्दुल रहमान मुसलमान, निवासी रेका नाका बस्ती, नागपुर, जिला नागपुर (महाराष्ट्र)

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

श्री दशरथ गुप्ता अधिवक्ता अपीलार्थी के लिए

श्री श्रवण अग्रवाल अधिवक्ता प्रत्यर्थीग क्र.1 व 2 के लिए

श्री अभिषेक शर्मा अधिवक्ता,प्रत्यर्थीग क्र.4 के लिए

अन्य प्रत्यर्थीगण के लिए कोई उपस्थित नही

<u>विविध अपील क्र. 671/2008</u>

<u>अपीलार्थी</u>	यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड,
<u>अनावेदक क्र.3</u>	शाखा कार्यालय-2,मेडिकल चौक, नागपुर, जिला नागपुर, (महाराष्ट्र) द्वारा संभागीय प्रबंधक,संभागीय कार्यालय कृष्णा कांपलेक्स, प्रथम तल, कचहरी चौक,रायपुर, जिला रायपुर (छ.ग.)

विरुद्ध

<u>प्रत्यर्थीगण</u>	1.	बृजमोहन पिता
<u>आवेदक क्र.1</u>		रजउ सतनामी उम्र 40
<u>आवेदक क्र.2</u>	2.	जोहनराम पिता रजउ सतनामी उम्र 38 वर्ष
<u>आवेदक क्र.3</u>	3.	दुकालू राम पिता रजउ सतनामी उम्र 30 वर्ष, गभरा, तहसील छूईखदान, जिला राजनांदगांव,(छ.ग.)
<u>अनावेदक क्र.1</u>	4.	धनेश,पिता बैसाखाराम गाड़ा, उम्र 35 वर्ष, निवासी गंडई पंडरिया, तहसील छुईखदान, जिला राजनांदगांव (छ.ग.)
<u>अनावेदक क्र.2</u>	5.	तोरणदास, पिता तुलसीदास चेलक, उम्र 30 वर्ष, निवासी ग्राम गभरा, तहसील छूईखदान, जिला राजनांदगांव, (छ.ग.)
<u>अनावेदक क्र.4</u>	6.	अब्दुल रहीम, पिता अब्दुल रहमान मुसलमान, निवासी रेका नाका बस्ती, नागपुर, जिला नागपुर (महाराष्ट्र)

श्री दशरथ गुप्ता अधिवक्ता अपीलार्थी के लिए

श्री श्रवण अग्रवाल अधिवक्ता प्रत्यर्थी क्र. 1 के लिए

श्री अभिषेक शर्मा अधिवक्ता, प्रत्यर्थी क्र.3 के लिए

अन्य प्रत्यर्थीगण के लिए कोई उपस्थित नही

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

<u>**विविध अपील क्र. 672/2008**</u>

<u>**अपीलार्थी**</u> <u>**अनावेदक क्र.3**</u>	यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, शाखा कार्यालय-2,मेडिकल चौक, नागपुर, जिला नागपुर, (महाराष्ट्र) द्वारा संभागीय प्रबंधक, संभागीय कार्यालय कृष्णा कांपलेक्स, प्रथम तल, कचहरी चौक, रायपुर, जिला रायपुर

विरुद्ध

<u>**प्रत्यर्थीगण**</u> <u>**आवेदक क्र.1**</u>	1.	चंदू राम पिता रामदीन सतनामी उम्र 30 वर्ष निवासी ग्राम गभरा, तहसील छूईखदान, जिला राजनांदगांव, (छ.ग.)
<u>**अनावेदक क्र.1**</u>	2.	धनेश,पिता बैसाखाराम गाड़ा, उम्र 35 वर्ष, निवासी गंडई पंडरिया, तहसील छुईखदान, जिला राजनांदगांव (छ.ग.)
<u>**अनावेदक क्र.2**</u>	3.	तोरणदास, पिता तुलसीदास चेलक, उम्र 30 वर्ष, निवासी ग्राम गभरा, तहसील छूईखदान, जिला राजनांदगांव,(छ.ग.)
<u>**अनावेदक क्र.4**</u>	4.	अब्दुल रहीम, पिता अब्दुल रहमान मुसलमान, निवासी रेकानाका बस्ती, नागपुर, जिला नागपुर (महाराष्ट्र)

श्री दशरथ गुप्ता अधिवक्ता अपीलार्थी के लिए

श्री रतन पुस्टी अधिवक्ता प्रत्यर्थी क्र. 1 के लिए

श्री अभिषेक शर्मा अधिवक्ता, प्रत्यर्थी क्र.3 के लिए

अन्य प्रत्यर्थीगण के लिए कोई उपस्थित नही

<u>**विविध अपील क्र. 673/2008**</u>

<u>**अपीलार्थी**</u> यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, शाखा

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

अनावेदक क्र.3 कार्यालय-2, मेडिकल चौक, नागपुर, जिला नागपुर,(महाराष्ट्र)
द्वारा संभागीय प्रबंधक, संभागीय कार्यालय कृष्णा कांपलेक्स,
प्रथम तल, कचहरी चौक,रायपुर,जिला रायपुर (छ.ग.)

विरुद्ध

प्रत्यर्थीगण
आवेदक 1. देवदास, पिता उखठ सतनामी, उम्र 25 वर्ष, निवासी ग्राम गभरा, तहसील छूईखदान, जिला राजनांदगांव, (छ.ग.)

अनावेदक क्र.1 2. धनेश, पिता बैशाखाराम गाड़ा, उम्र 35 वर्ष, निवासी गंडई पंडरिया, तहसील छुईखदान, जिला राजनांदगांव (छ.ग.)

अनावेदक क्र.2 3. तोरणदास, पिता तुलसीदास चेलक, उम्र 30 वर्ष, निवासी ग्राम गभरा, तहसील छूईखदान, जिला राजनांदगांव, (छ.ग.)

अनावेदक क्र.4 4. अब्दुल रहीम,पिता अब्दुल रहमान मुसलमान, निवासी रेका नाका बस्ती, नागपुर, जिला नागपुर (महाराष्ट्र)

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

श्री दशरथ गुप्ता अधिवक्ता अपीलार्थी के लिए
श्री अभिषेक शर्मा अधिवक्ता, प्रत्यर्थी क्र.3 के लिए
अन्य प्रत्यर्थीगण के लिए कोई उपस्थित नही

विविध अपील क्र. 674/2008

अपीलार्थी इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, शाखा

अनावेदक क्र.3 कार्यालय-2, मेडिकल चौक, नागपुर, जिला नागपुर, (महाराष्ट्र) द्वारा संभागीय प्रबंधक, संभागीय कार्यालय कृष्णा कांपलेक्स, प्रथम तल, कचहरी चौक,रायपुर, जिला रायपुर (छ.ग.)

विरुद्ध

प्रत्यर्थीगण
आवेदक 1. श्रीमती विमला देवी, पति चंदूराम सतनामी, उम्र 27 वर्ष, निवासी ग्राम गभरा, तहसील छूईखदान, जिला राजनांदगांव,(छ.ग.)

अनावेदक क्र.1 2. धनेश, पिता बैशाखाराम गाड़ा,उम्र 35 वर्ष, निवासी गंडई पंडरिया, तहसील छुईखदान, जिला राजनांदगांव (छ.ग.)

अनावेदक क्र.2 3. तोरणदास, पिता तुलसीदास चेलक, उम्र 30 वर्ष, निवासी ग्राम गभरा,तहसील छूईखदान, जिला राजनांदगांव, (छ.ग.)

अनावेदक क्र.4 4. अब्दुल रहीम,पिता अब्दुल रहमान, निवासी रेका नाका बस्ती,नागपुर,जिला नागपुर (महाराष्ट्र)

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

श्री दशरथ गुप्ता अधिवक्ता अपीलार्थी के लिए
श्री रतन पुस्टी अधिवक्ता प्रत्यर्थी क्र. 1 के लिए
श्री अभिषेक शर्मा अधिवक्ता, प्रत्यर्थीग क्र.3 के लिए
अन्य प्रत्यर्थीगण के लिए कोई उपस्थित नहीं

विविध अपील क्र. 675/2008

अपीलार्थी
अनावेदक क्र.3 यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, शाखा कार्यालय- 2, मेडिकल चौक,नागपुर, जिला नागपुर,(महाराष्ट्र) द्वारा संभागीय प्रबंधक, संभागीय कार्यालय कृष्णा कांपलेक्स, प्रथम तल,कचहरी चौक, रायपुर,जिला रायपुर (छ.ग.)

विरुद्ध

प्रत्यर्थीगण 1 जयप्रकाश, पिता राधेश्यामम, उम्र 15 वर्ष, नाबालिग,
<u>आवेदक</u> द्वारा पिता राधेश्याम पिता कार्तिक राम जाति सतनामी, उम्र 32 वर्ष, निवासी ग्राम गभरा,तहसील छूईखदान, जिला राजनांदगांव, (छ.ग.)

<u>अनावेदक क्र.1</u> 2. धनेश,पिता बैशाखाराम गाड़ा, उम्र 35 वर्ष, निवासी गंडई पंडरिया, तहसील छुईखदान, जिला राजनांदगांव (छ.ग.)

<u>अनावेदक क्र 2</u> 3. तोरणदास,पिता तुलसीदास चेलक, उम्र 30 वर्ष, निवासी ग्राम गभरा, तहसील छूईखदान, जिला राजनांदगांव, (छ.ग.)

<u>अनावेदक क्र.4</u> 4. अब्दुल रहीम, पिता अब्दुल रहमान मुसलमान, निवासी रेका नाका बस्ती,नागपुर, जिला नागपुर (महाराष्ट्र)

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

श्री दशरथ गुप्ता अधिवक्ता अपीलार्थी के लिए
श्री अभिषेक शर्मा अधिवक्ता, प्रत्यर्थी क्र.3 के लिए
अन्य प्रत्यर्थीगण के लिए कोई उपस्थित नही

<u>विविध अपील क्र. 687/2008</u>

<u>अपीलार्थी</u> यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, शाखा
<u>अनावेदक क्र.3</u> कार्यालय-2, मेडिकल चौक, नागपुर, जिला नागपुर,(महाराष्ट्र) द्वारा संभागीय प्रबंधक, संभागीय कार्यालय कृष्णा कांपलेक्स, प्रथम तल, कचहरी चौक,रायपुर, जिला रायपुर (छ.ग.)

विरुद्ध

<u>प्रत्यर्थीगण</u> 1. राजेश भारती, पिता कालीराम सतनामी, उम्र 30 वर्ष,
<u>आवेदक</u> निवासी लांझिया टोला, पोस्ट खुड़मूड़ी, पुलिस थाना व तहसील छूईखदान, जिला राजनांदगांव, (छ.ग.)

<u>अनावेदक क्र.1</u>	2.	धनेश,पिता बैसाखाराम गाड़ा, उम्र 35 वर्ष, निवासी गंडई पंडरिया,तहसील छुईखदान, जिला राजनांदगांव(छ.ग.)
<u>अनावेदक क्र.2</u>	3.	तोरणदास, पिता तुलसीदास चेलक, उम्र 30 वर्ष, निवासी ग्राम गभरा,तहसील छुईखदान,जिला राजनांदगांव
<u>अनावेदक क्र.4</u>	4	अब्दुल रहीम,पिता अब्दुल रहमान मुसलमान, निवासी रेकानाका बस्ती, नागपुर, जिला नागपुर (महाराष्ट्र)

श्री दशरथ गुप्ता अधिवक्ता अपीलार्थी के लिए

श्री श्रवण अग्रवाल अधिवक्ता प्रत्यर्थीग क्र. 1 के लिए

श्री अभिषेक शर्मा अधिवक्ता, प्रत्यर्थीग क्र. 3 के लिए

अन्य प्रत्यर्थीगण के लिए कोई उपस्थित नही

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

<u>अपील अंतर्गत धारा 173 मोटर यान अधिनियम 1988</u>

<u>एकलपीठः माननीय न्यायमूर्ति श्री एन. के. अग्रवाल</u>

<u>आदेश</u>

(11/05/2009)

1.विविध अपील क्र.657/2008, विविध अपील क्र.658/2008, विविध अपील क्र. 659/2008,विविध अपील क्र.667/2008,विविध अपील क्र.668/2008,विविध अपील क्र.669/2008, विविध अपील क्र.670/2008, विविध अपील क्र.671/2008, विविध अपील क्र.672/2008, विविध अपील क्र.673/2008, विविध अपील क्र.674/2008, विविध अपील क्र.675/2008, विविध अपील क्र.787/2006 और विविध अपील क्र.789/2006 का निराकरण इस एक ही आदेश द्वारा किया जा रहा है क्योंकि ये सभी एक ही दुर्घटना से उत्पन्न हुए हैं।

2.ये अपीलें यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड द्वारा मोटर वाहन अधिनियम 1988 (जिसे आगे अधिनियम कहा जाएगा) की धारा 166 के तहत दावेदारों द्वारा प्रस्तुत विभिन्न दावा मामलों

में अतिरिक्त मोटर दुर्घटना दावा प्राधिकरण खैरागढ़ द्वारा दिनांक 14/01/2008 को पारित पंचाट के विरुद्ध प्रस्तुत की गई हैं।

3.सभी दावा प्रकरणों में दावेदारों के बयान के अनुसार दिनांक 13/2/2006 को कई लोग नर्मदा मेला देखने के लिए ट्रक जिसका पंजीयन क्र.□□04 □□ 3723 है, में सवार होकर यात्रा कर रहे थे। जब ट्रक घिरघोली और अरतिया के पास पहुंचा तो प्रश्नगत वाहन के चालक की उतावलापन और उपेक्षापूर्वक से गाड़ी चलाने के कारण पलट गया। उनमें से कुछ को चोटें आईं और दो की मौत हो गई। सभी दावा याचिकाओं में दावेदार या तो स्वयं घायल व्यक्ति या मृतक व्यक्तियों के विधिक प्रतिनिधि/आश्रित हैं। सभी प्रकरणों में दावेदारों ने प्रश्नगत ट्रक के चालक,वाहन स्वामी और बीमा कंपनी के विरुद्ध अपने पालनकर्ता की मृत्यु के कारण हुई क्षति और चोटों के नुकसानी के लिए, प्रतिकर का दावा करते हुए अलग-अलग दावा याचिकाएं दाखिल की हैं। ट्रक के वाहन स्वामी और वाहन के चालक ने दुर्घटना के समय उक्त ट्रक में घायल व्यक्तियों या मृत व्यक्तियों के यात्रा करने के तथ्य से विशिष्ट रूप से इनकार नहीं किया। बीमाकर्ता अर्थात अपीलार्थी /बीमा कंपनी ने मृतक या घायल को क्षतिपूर्ति देने के अपने दायित्व से इस आधार पर इनकार कर दिया है कि वे मालवाहक में यात्री के रूप में यात्रा कर रहे थे, इसके लिए अपीलार्थी/बीमा कंपनी, वाहन स्वामी को ऐसे किसी भी क्षतिपूर्ति या प्रतिकर की राशि देने के लिए उत्तरदायी नहीं है, जो चालक और ट्रक के वाहन स्वामी के खिलाफ दी जा सकती है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

4.विद्वान न्यायाधिकरण ने पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों के आधार पर इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि चूंकि उक्त घायल/मृत व्यक्ति ट्रक में आनुग्रहिक/मुफ्त यात्रियों के रूप में यात्रा कर रहे थे, इसलिए बीमा कंपनी वाहन स्वामी को क्षतिपूर्ति देने के लिए उत्तरदायी नहीं है, किन्तु **माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड विरुद्ध स्वर्ण सिंह एवं अन्य** (2004 एसीजे 1 में प्रकाशित) तथा नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम बलजीत कौर एवं अन्य (2004 एसीजे 428 में प्रकाशित) के मामले में दिए गए निर्णयों का अवलम्ब लेते हुए बीमा कंपनी को निर्देश दिया कि वह पहले दावेदारों को प्रतिकर की राशि का भुगतान करे और फिर उसे वाहन स्वामी से वसूल करे।

5.श्री दशरथ गुप्ता, विद्वान अधिवक्ता ने तर्क किया कि विद्वान न्यायाधिकरण ने अपीलार्थी/ बीमा कंपनी को यह निर्देश देकर विधिक त्रुटि की है कि वह पहले पक्षकारों को प्रतिकर की राशि

भुगतान करे और फिर उसे वाहन स्वामी से वसूल करे। इसके लिए श्री गुप्ता ने निम्नलिखित मामलों का अवलंब लिया है:

i) न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी विरुद्ध वेदवती एवं अन्य 2007 ए आई आर, एस सी डब्ल्यू 1505

ii) नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमि. विरुद्ध प्रेमादेवी एवं अन्य 2008 ए आई आर एस सी डब्ल्यू 2023

iii) यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमि. विरुद्ध श्रीमती बोदाली बाई एवं अन्य 2008(3)टी ए सी 570(छत्तीसगढ़)

6.इसके विपरीत,वाहन स्वामी की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने, तथा दावेदारों ने अधिनिर्णय का समर्थन किया तथा स्वर्ण सिंह(पूर्वोक्त) के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित विधिक सिद्धांत का अवलंब लेते हुए, तर्क किया कि मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में विद्वान न्यायाधिकरण ने अपीलार्थी/बीमा कंपनी को पहले भुगतान करने, उसके पश्चात वाहन स्वामी से अधिनिर्णय की राशि वसूलने का, निर्देश देने में कोई त्रुटि नहीं की है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

7.मैंने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना तथा अभिलेख तथा आक्षेपित अधिनिर्णय का भी अवलोकन किया।

8.मुख्य विवाद इस विधिक स्थिति के इर्द-गिर्द केंद्रित है कि क्या मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में,जिसमें न्यायाधिकरण ने स्वयं अपीलार्थी/बीमा कंपनी को, दावेदारों को प्रतिकर देने के किसी भी दायित्व से भारमुक्त कर दिया था, मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 147 के संदर्भ में पहले दावेदार को भुगतान करने और फिर वाहन स्वामी से इसे वसूलने का निर्देश पारित किया जा सकता है। अधिनियम की धारा 147, इस प्रकार है: -

"147. (1) पॉलिसियों की अपेक्षाएं और दायित्व की सीमाएं : अध्याय की आवश्यकताओं का पालन करने के लिए, बीमा पॉलिसी ऐसी पॉलिसी होनी चाहिए जो,

> क) जो किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा जारी की गई है, जो कोई प्राधिकृत बीमाकर्ता है;और
>
> ख) उप-धारा (2) में निर्दिष्ट सीमा तक पॉलिसी में निर्दिष्ट व्यक्ति या व्यक्तियों के वर्गों का बीमा करती हो :

i) किसी ऐसे दायित्व के, जो उसके द्वारा किसी मोटर यान में सवारी करने वाले किसी व्यक्ति की, जिसके अंतर्गत मालों का स्वामी या उसका प्राधिकृत प्रतिनिधि भी है, मृत्यु या शारीरिक चोट के संबंध में या सार्वजनिक स्थान पर मोटर यान के उपयोग से कारित या उससे उद्भुत होने वाले किसी तीसरे पक्ष की संपत्ति को होने वाले नुकसान के संबंध में उपगत किया जाए, के विरुद्ध;

ii) किसी सार्वजनिक सेवा यान के किसी यात्री, की मृत्यु या शारीरिक क्षति के,जो सार्वजनिक स्थान पर मोटर वाहन के उपयोग से कारित या उससे उद्भूत, के विरुद्धः

बशर्ते कि पॉलिसी की आवश्यकता नहीं होगी-

(i) उस पालिसी द्वारा बीमाकृत किसी व्यक्ति के कर्मचारी की उसके नियोजन से और उसके दौरान हुई मृत्यु के संबंध में अथवा ऐसे कर्मचारी की सके नियोजन से और उसके दौरान हुई शारीरिक क्षति के संबंध में ऐसे दायित्व को पूरा करने के लिए अपेक्षित नहीं होगी, जो किसी ऐसे कर्मचारी की मृत्यु या उसकी शारीरिक क्षति की बाबत कर्मकार प्रतिकर अधिनियम, 1923 के अधीन होने वाले दायित्व से भिन्न है जो –

अ) वाहन चलाने में नियोजित हैं,या

ब) यदि यह एक सार्वजनिक सेवा यान है,तो यान के कंडक्टर के रूप में या यान पर टिकटों की जांच करने में नियोजित हैं, या

स) माल वहन की दशा में, उस यान में वहन किया जा रहा है, या,

(2) किसी संविदात्मक दायित्व को कवर करने के लिए (2)उपधारा(1)के परंतुक के अधीन रहते हुए, उपधारा(1)में निर्दिष्ट बीमा पॉलिसी, किसी दुर्घटना के अंतर्गत किसी दुर्घटना की बाबत उपगत कोई दायित्व निम्नलिखित सीमाओं तक होगा, अर्थात :-

(क) खंड(ख)में उपबंधित के सिवाय, उपगत दायित्व की राशि,

(ख) किसी तृतीय पक्ष की संपत्ति को हुए नुकसान के बाबत, छह हजार रुपये की सीमा:

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

परन्तु अधिनियम के प्रारंभ होने से ठीक पहले,किसी सीमित वाली बीमा पॉलिसी जो प्रवृत्त है,ऐसे प्रारंभ के पश्चात चार महीने की अवधि के लिए या ऐसी पॉलिसी की समाप्ति की तिथि तक,जो भी पुर्वत्तर हो,प्रभावी बनी रहेगी।

(3)इस अध्याय के प्रयोजनों के लिए पॉलिसी तब तक प्रभावी नहीं होगी जब तक कि बीमाकर्ता द्वारा उस व्यक्ति के पक्ष में,जिसने पॉलिसी ली गई है,विहित प्ररूप में बीमा प्रमाणपत्र जारी नहीं कर दिया जाता है,जिसमें किन्हीं शर्तों,जिनके अधीन पॉलिसी जारी की गई है,तथा किन्हीं, अन्यविहित बातो की, विहित विशिष्टियों सहित नही दे दिया जाता, तथा भिन्न-भिन्न मामलों में भिन्न-भिन्न प्ररूप,विशिष्टियां और विषय विहित किए जा सकेंगे –

(4)जहां इस अध्याय या इसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अधीन बीमाकर्ता द्वारा जारी किए गए कवर नोट के बाद विहित समय के भीतर बीमा पॉलिसी जारी नहीं की जाती है, वहां बीमाकर्ता कवर नोट की विधिमान्यता की अवधि की समाप्ति के सात दिनों के भीतर,उस पंजीकरण प्राधिकारी को,जिसके अभिलेखों में कवर नोट से संबंधित यान पंजीकृत है,या ऐसे अन्य प्राधिकारी को,जिसे राज्य सरकार विहित करे,अधिसूचित करेगा।

(5)तत्समय प्रवृत्त किसी भी विधि में किसी भी बात के होते हुए भी,कोई बीमाकर्ताजो इस धारा के अधीन बीमा पॉलिसी जारी करता है,उस व्यक्ति की या उन वर्गों के व्यक्तियों की जो पॉलिसी में विनिर्दिष्ट है,किसी ऐसे दायित्व के बाबत क्षतिपूर्ति करने के लिए उत्तरदायी होगा,जिसकी उस व्यक्ति या उन वर्गों के व्यक्तियों के मामले में पूर्ति करने के लिए पॉलिसी तात्पर्यित है।

9.उपरोक्त प्रावधानों के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि अधिनियम के प्रावधान किसी वाहन स्वामी पर मालवाहक वाहन में यात्रा कर रहे किसी भी आनुग्रहिक/ मुफ़्त यात्री के लिए अपने वाहन का बीमा कराने का कोई संविधिक दायित्व अधिरोपित नहीं करते हैं और बीमाकर्ता का इसके लिए कोई दायित्व नहीं होगा।

10.इस दृष्टिकोण को माननीय सर्वोच्च न्यायालय की तीन न्यायाधीशों की पीठ द्वारा **न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड विरुद्ध आशा रानी एवं अन्य, जो 2002 ए आईआर, एस सी डब्लू 5259 में प्रकाशित,** में दिए गए निर्णय से समर्थन मिलता है,जिसमें यह अभिनिर्धारित किया है कि मालवाहक वाहन में यात्रा कर रहे यात्रियों के लिए बीमा कंपनी का कोई दायित्व नहीं होगा।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

इस प्रस्थिति को माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड विरुद्ध देवीरेड्डी कोंडा रेड्डी एवं अन्य**, जो 2003(2)एस सी सी 339, **नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड विरुद्ध अजीत कुमार और अन्य,** जो **2003(9)एस सी सी 668,नेशनल इंश्योरेंस कंपनी इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड विरुद्ध बोम्मिठी सुब्भायम्मा और अन्य, जो 2005(12),एस सी सी 243** में प्रकाशित है, के मामलों में और भी स्पष्ट किया है।

11.इसी निर्णय को माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड विरुद्ध वेदवती एवं अन्य** (पूर्वोक्त) और **नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड विरुद्ध प्रेमा देवी एवं अन्य** (पूर्वोक्त)के हाल ही के निर्णयों में दोहराया था। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **नेशनल इंश्योरेंस कंपनी विरुद्ध लक्ष्मीनारायण धुत;** जो **2007(3) एस सी सी 700** में प्रकाशित, के मामले में,यह अभिनिर्धारित किया कि स्वर्ण सिंह (पूर्वोक्त)के मामले का निर्णय तीसरे पक्ष के अलावा किसी अन्य प्रकरण/कारकों पर लागू नहीं होता है। इसलिए,मोटर यान अधिनियम,1988 के संविधिक प्रावधान मालवाहक वाहनों के आनुग्रहिक/मुफ्त यात्रियों के जोखिम को शामिल करने के लिए कोई संविधिक दायित्व अधिरोपित नहीं करते हैं क्योंकि मालवाहक वाहन में आनुग्रहिक यात्रा करने वाले ऐसे यात्री, तीसरे पक्ष नहीं होते हैं और इसलिए,पहले भुगतान करने और फिर वसूली करने का निर्देश भी गलत होगा।

12.अतः,प्रकरण के तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए, मुझे यह निष्कर्ष देने में कोई हिचकिचाहट नहीं है कि बीमा कंपनी को पहले दावेदारों को प्रतिकर की राशि का भुगतान करने और फिर उसे वाहन स्वामी से वसूलने के लिए उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता। चूँकि वे मालवाहक वाहन में आनुग्रहिक/मुफ्त यात्री थे, इसलिए अपीलार्थी/बीमा कंपनी को पहले दावेदारों को भुगतान करने और फिर उसे वाहन स्वामी से वसूलने का निर्देश नहीं दिया जा सकता।

13.उपरोक्त कारणों से, आक्षेपित आदेश में बीमा कंपनी को पहले भुगतान करने और फिर वाहन स्वामी से उसे वसूल करने के संबंध में दिया गया निर्देश, कायम नहीं रखा जा सकता। तदनुसार, आक्षेपित निर्णय को इस सीमा तक संशोधित किया जाता है कि जहाँ तक बीमा कंपनी को पहले भुगतान करने और फिर वसूल करने के निर्देश का संबंध है, उसे अपास्त किया जाता है। तथापि, यह भी निर्देश दिया जाता है कि यदि इस अपील के लंबित रहने के दौरान, अपीलार्थी/बीमा कंपनी द्वारा कोई राशि जमा की गई है और फिर दावेदारों को वितरित की गई है, तो अपीलार्थी/बीमा कंपनी, न्यायाधिकरण के समक्ष निष्पादन आवेदन दाखिल करके उसे स्वामी से

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

वसूल करने की हकदार होगी। दावेदार वाहन स्वामी के विरुद्ध दिए गए निर्णय को निष्पादित करने के हकदार हैं।

14.तदनुसार, अपीलें स्वीकार की जाती हैं।

15.इस आदेश की प्रति सभी संबद्ध अपीलों के अभिलेख में रखी जाए।

हस्ताक्षर
एन. के. अग्रवाल
न्यायाधीश

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

Translated by : Tapan Kumar Saha, Advocate

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur